न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 07/2014

वादीगण :–

1. मोहनीदेवी पत्नी स्व हीरालाल
2. महेन्द्रकुमार पुत्र स्व. हीरालाल
3. अशोककुमार पुत्र स्व. हीरालाल

जातियान–कीर,निवासीगण–पिपलियाखुर्द,
हाल–बर तह.–रायपुर,जिला–पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चुन्नीदेवी पत्नी स्व. कालुराम
2. दल्लाराम पुत्र स्व. कालुराम
3. सूरजमल पुत्र स्व. कालुराम
4. तेजाराम पुत्र स्व. कालुराम
5. बुधाराम पुत्र स्व. कालुराम
   जातियान–कीर,निवासी–पिपलियाखुर्द,
   हाल–बर,तहसील–रायपुर जिला–पाली
6. किशना पुत्र स्व. नैनाराम
7. पूनाराम पुत्र स्व. नैनाराम

जातियान–कीर,निवासीगण–पिपलियाखुर्द,
तहसील–जैतारण,जिला–पाली

8. लालाराम पुत्र स्व नैनाराम
   जाति–कीर,निवासी–पिपलियाखुर्द,
   हाल–निवासी मानपुर–आबुरोड़,
   तहसील–आबूरोड़, जिला–सिरोही
9. राज्य सरकार जरिये
   तहसीलदारजी–जैतारण(पाली)
10. उप पंजीयन अधिकारी
   कार्यालय–जैतारण,जिला–पाली
11. राज्य सरकार जरिये जिला
   कलेक्टर–पाली (राजस्थान)
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 53'ए' राजस्थान टिनेन्सी एक्त

तारीख रजू:.06.01.2014

उपस्थित:– 1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 17/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 53'ए' राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का–पिपलियांखुर्द, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र–जैतारण, तहसील–जैतारण में खाता संख्या 252/251 खसरा नम्बर 465 रकबा 5–08 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 466 रकबा 5–08 बीघा किस्म चा0दो0 एवं खसरा नम्बर 467/1 26–00 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता–3 कुल रकबा 36–16 बीघा की खातेदारी भूमि आई हुई हैं। उपरोक्त खातेदारी भूमि की जमाबन्दी व ट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नक्शा वाद के साथ पेश की है, जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावें। उक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या–252/251 में वादीगण का 1/6 हिस्सा आता हैं। उक्त हिस्से अनुसार वादीगण मौके पर काबिज हैं तथा मौके पर बंट अनुसार अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग / उपभोग व काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वृक्ष वंशावली मूल पुरूष नैनाराम के वारिसान कालुराम (फौत), शंकर (फौत) लालु, हीरा (फौत), किशना एवं पूना हुए तथा कालुराम (फौत) की पत्नि चुनीदेवी एवं पुत्रगण दल्लाराम, सूरजमल हुए। शंकर (फौत) के पुत्रगण तेजाराम व बुधाराम हुए तथा हीरा (फौत) की पत्नि मोहनीदेवी, पुत्रगण महेशकुमार, अशोककुमार एवं पुत्रियाँ राजुदेवी, इन्द्रादेवी माली यशोदाबेन व संतोष हैं। जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 से 8 की संयुक्त खातेदारी हैं। जिसका मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड व नक्शे में बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् बंटवाड़ा नही हो रखा हैं, जिस कारण से वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर काफी विवाद होते रहते है व जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् बंटवाड़ा नही होने से वादीगण अपने हक हिस्से की जमीन को अधिक उपजाऊ व समतल इत्यादि भी नही बनवा पा रहा हैं तथा अपनी जमीन पर लौन इत्यादी लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं तथा अपनी जमीन पर लौन इत्यादी लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् बंटवाड़ा नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में काफि परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। मौके पर किसी प्रकार विवाद उत्पन्न नही हो, जिस कारण से वादीगण उक्त सम्पूर्ण जमीन का बंटवाड़ा करवाना चाहता हैं। ताकि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो सकें। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 02/11/2013 को राजस्व रेकर्ड मौके पर कब्जे के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् बंटवाड़ा करवाने का कहा, तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने धमकी दी की वे वादीगण की उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर देंगे तथा वादीगण को कब्जे से बेदखल कर देंगे, जिस कारण से वादीगण मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् बंटवांड़ा करवाने का अधिकारी है। अगर प्रतिवादीगण द्वारा मौके अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं करवाया जाता हैं। वादीगण के हक हिस्से की जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा कर वादीगण को बेदखल आदि कर देते हैं, तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुक्शान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी तथा वादीगण को अपने हितों व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, जिस कारण से वादीगण अपने हितो व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है। राजुदेवी, इन्द्रादेवी माली यशोदाबेन व सन्तोष जो कि स्वर्गीय हीरा की जायन्दा पुत्रीया हैं, जो कि शादी के बाद अपने ससुराल ही रहती है, जिस कारण से उक्त राजुदेवी, इन्द्रादेवी, माली, यशोदाबेन व सन्तोष ने वादीगण के पक्ष में हक तर्कनामा दिनांक–30/09/2013 को तकमील व तहरीर करवाकर तहसील कार्यालय में पंजीयन करवाया, जो पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 200 में पृष्ठ संख्या 24 कम संख्या 2013006264 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 791 के पृष्ठ संख्या 155 से 163 पर चस्पा किया गया, जिसकी नकल वाद के साथ संलग्न पेश की है। प्रतिवादी संख्या–9 राजस्व जमीन के लैन होल्डर हैं, तथा प्रतिवादी संख्या–10 उप पंजीयन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

है,तथा प्रतिवादी संख्या-11 के अधिनस्थ प्रतिवादी संख्या-9 व 10 हैं। इसलिए उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादीगण संख्या-9 से 11 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा-80 सी.पी.सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा करवाये जमीन का बैचान कर देगे तथा वादीगण के हक हिस्से की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर देंगे,जिस कारण से वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वाद श्रीमान से अनुमति लेकर पेश किया जा रहा हैं। अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। बिनायदावा दिनांक 02/11/2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मौके पर काबिज अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् बंटवाड़ा करवाने को कहा, तो प्रतिवादीगण ने राजस्व रेकर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाण्उडस् बंटवाड़ा करवाने से मना करने पर बमुकाम-पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अख्त्यार का होने से वाद-अन्दर मियाद प्रस्तुत किया हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा वादी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 8 से 10 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 03/02/2014 को की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री महेन्द्र प्रजापत अधिवक्ता ने दिनांक 03/11/2014 एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 की ओर से श्री अमित त्रिपाठी अधिवक्ता ने दिनांक 03/02/2014 को वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज दिनांक 17/06/2015 राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - पिपलियांखुर्द में मुकर्रर होकर पेश हुई। वादी स्वयं एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रति0 संख्या 3, 4, 6, 7 उपस्थित आए, किन्तु अधिवक्ता प्रति0 अनुपस्थित रहे। उपस्थित प्रति0 संख्या 1 ने व्यक्त किया कि प्रति0 की ओर से जबाबदावा पेश करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा प्रति0 का जबाबदावा बन्द किया गया। चूँकि वादी विवादित भूमि के स्वयं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी 2070-2073 अनुसार खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित हैं, जिससे वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर विभाजन प्रस्ताव/बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने उभय पक्षकारानों का जरिए राजीनामा फर्द मौका मय नजरी नक्शा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों मे बंटवाड़ा करके विभाजन / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उक्त बंटवाड़ा / विभाजन पर वादी तथा प्रति0 संख्या 3, 4, 6, 7 ने राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकारोक्ति दी हैं अर्थात् कोई आपति नहीं कर राजीनामा / सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अंकित किये हैं। लिहाजा माफिक सहमति राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बंटवाड़ा रिपोर्ट फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17/06/2015 वाद वादी डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाना हम उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का–पिपलियांखुर्द, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र–जैतारण, तहसील–जैतारण में खाता संख्या 252/251 खसरा नम्बर 465 रकबा 5–08 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 466 रकबा 5–08 बीघा किस्म चा0दो0 एवं खसरा नम्बर 467/1 26–00 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता–3 कुल रकबा 36–16 बीघा भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	पूनाराम पुत्र नेनाराम कौम–कीर सा0 देह खातेदार।	466 465	3-06-00 2-14-00	चा0दो0 बा0दो0
	योग	2	6-00-00	
2	तेजाराम बुधाराम पि0 शंकरलाल कौम–कीर सा0 देह खातेदार।	466/1 465/1 467/1	1-14-00 2-14-00 1-12-00	चा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
	योग	3	6-00-00	
3	महेशकुमार अशोककुमार पि0 हीरालाल मोहनीदेवी पत्नि हीरालाल कौम–कीर सा0 देह खातेदार।	467/38	6-00-00	बा0दो0
4	किशनाराम पुत्र नेनाराम कौम–कीर सा0 देह खातेदार।	467/38	6-00-00	बा0दो0
5	लालाराम पुत्र नेनाराम कौम–कीर सा0 देह खातेदार।	467/40	6-00-00	बा0दो0
6	सूरजमल दलाराम पि0 कालूराम कौम–कीर सा0 देह खातेदार।	467/41	6-00-00	बा0दो0
7	सूरजमल दलाराम पि0 कालूराम, तेजाराम बुधाराम पि0 शंकरलाल, महेशकुमार अशोककुमार पि0 हीरालाल, मोहनीदेवी पत्नि हीरालाल, किशनाराम पूनाराम पि0 नेनाराम कौम–कीर सा0 देह खातेदार।	466/2 465/42	0-08-00 0-08-00	चा0दो0 बा0दो0
	योग	2	0-16-00	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–पिपलियाखुर्द पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

वादीगण :-

1. मोहनीदेवी पत्नी स्व हीरालाल
2. महेन्द्रकुमार पुत्र स्व. हीरालाल
3. अशोककुमार पुत्र स्व. हीरालाल

जातियान-कीर,निवासीगण-पिपलियाखुर्द,
हाल-बर तह.-रायपुर,जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चुन्नीदेवी पत्नी स्व. कालुराम
2. दल्लाराम पुत्र स्व. कालुराम
3. सूरजमल पुत्र स्व. कालुराम
4. तेजाराम पुत्र स्व. कालुराम
5. बुधाराम पुत्र स्व. कालुराम
   जातियान-कीर,निवासी-पिपलियाखुर्द,
   हाल-बर,तहसील-रायपुर जिला-पाली
6. किशना पुत्र स्व. नैनाराम
7. पूनाराम पुत्र स्व. नैनाराम

जातियान-कीर,निवासीगण-पिपलियाखुर्द,
तहसील-जैतारण,जिला-पाली

8. लालाराम पुत्र स्व नैनाराम
   जाति-कीर,निवासी-पिपलियाखुर्द,
   हाल-निवासी मानपुर-आबुरोड़,
   तहसील-आबूरोड़, जिला-सिरोही
9. राज्य सरकार जरिये
   तहसीलदारजी-जैतारण(पाली)
10. उप पंजीयन अधिकारी
    कार्यालय-जैतारण,जिला-पाली
11. राज्य सरकार जरिये जिला
    कलेक्टर-पाली (राजस्थान)
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:07/2014

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 53'ए' राजस्थान टिनेन्सी एक्त</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-........ व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का-पिपलियांखुर्द, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र-जैतारण, तहसील-जैतारण में खाता संख्या 252/251 खसरा नम्बर 465 रकबा 5-08 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 466 रकबा 5-08 बीघा किस्म चा0दो0 एवं खसरा नम्बर 467/1 26-00 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-3 कुल रकबा 36-16 बीघा भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सफूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म
1	पूनाराम पुत्र नेनाराम कौम-कीर सा0 देह खातेदार।	466 465	3-06-00 2-14-00	चा0दो0 बा0दो0
	योग	2	6-00-00	
2	तेजाराम बुधाराम पि0 शंकरलाल कौम-कीर सा0 देह खातेदार।	466/1 465/1 467/1	1-14-00 2-14-00 1-12-00	चा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
	योग	3	6-00-00	
3	महेशकुमार अशोककुमार पि0 हीरालाल मोहनीदेवी पत्नि हीरालाल कौम-कीर सा0 देह खातेदार।	467/38	6-00-00	बा0दो0
4	किशनाराम पुत्र नेनाराम कौम-कीर सा0 देह खातेदार।	467/38	6-00-00	बा0दो0
5	लालाराम पुत्र नेनाराम कौम-कीर सा0 देह खातेदार।	467/40	6-00-00	बा0दो0
6	सूरजमल दलाराम पि0 कालूराम कौम-कीर सा0 देह खातेदार।	467/41	6-00-00	बा0दो0
7	सूरजमल दलाराम पि0 कालूराम, तेजाराम बुधाराम पि0 शंकरलाल, महेशकुमार अशोककुमार पि0 हीरालाल, मोहनीदेवी पत्नि हीरालाल, किशनाराम पूनाराम पि0 नेनाराम कौम-कीर सा0 देह खातेदार।	466/2 465/42	0-08-00 0-08-00	चा0दो0 बा0दो0
	योग	2	0-16-00	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक....-.....बाबत......-......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली))

मोहर

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	08-00	मिजानः-	02-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner